FISHERIES DEPARTMENT

The 11th/15th October, 1993

No. 9374-AH-6-93/12338.—The Governor of Haryana is pleased to declare the result of the following officers of the Fisheries Department, who appeared in the examination of the Accounts/ Departmental Rules held in May, 1993, as indicated against each :—

Serial No.	Name and Designation	Remarks
	S/Shri (Accounts)	
1.	Rangrao Singh Yadav, Fisheries Development Officer, Gurgaon	Pass
2.	Rajender Kumar, CEO, FFDA, Sirsa	Pass (with credit)
3.	Rajinder Kumar Kaushik, Fisheries Development Officer, Chandigarh	Pass
4.	Balbir Singh, Fisheries Officer, Firojpur Jhirka (Gurgaon)	Fail
5.	Satish Chander Aggarwal, Deputy Director, Fisheries, Chandigarh	Fail
6.	Ramesh Chand, Assistant Engineer, O/o Director, Fisheries, Chandigarh	Pass
7.	Rajinder Singh, Fisheries Farm Manager, Sohna	Fail
8.	Brij Mohan Sharma, Fisheries Extension Officer, O/o CEO, FFDA Sirsa	Pass (with credit)
	Departmental Rules	
9.	Rangrao Singh Yadav, Fisheries Development Officer, Gurgaon	Pass (with credit)
10.	Rajinder Singh, FFM, Sohna	Fail
11.	Abhai Singh Yadav, Fisheries Development Officer, O/o FDO, Bhiwani	Pass

R. S. VARMA,

Financial Commissioner and
Secretary to Government Haryana,
Fisheries Department.

Chandigarh,
Dated the 1st October, 1993.

ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

The 5th October, 1993

No. 45/12/93-Edu.IV (4).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 2 of the Schedule given as protected monuments and the archaeological sites and remains specified in column 3 to 5 of the Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Archaeology Department, Chandigarh, from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified.

SCHEDULE

Serial Number	Name of Ancient site/ Monument	Town	Tehsil and district	Revenue/ Plot/Khasra No. etc. and area to be included under protection	Ownership	Holder of occupancy rights and by whom being managed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	European Cemetry	Ambala Cantt.	Ambala	20.54 acres	Government of India	High Commissioner of United Kingdom of India	Twenty war heroes of the Anglo-Boer War of 1899—1902 in Africa who had been brought here as war prisoners burried here after death.
2	St. Paul's Church (Church of England and Chaplain's Bunglow)	Ambala Cantt.	Ambala	Survey No. 325 6.29 acres	Government of India	Indian Church Trustee	The monument is a beautiful example of India British Architecture of 19th century A.D., it was damaged by a bomb blast during Indo-Pak War in 1965.

T. D. JOGPAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Archaeology and Museums Department,
Chandigarh.

पुरातत्व विभाग

दिनांक 5 अक्तूबर, 1993

संख्या 45/12/93-शि-IV (4).—पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना संख्या में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 3 से 5 तक में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और अनुशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का प्रस्ताव करते है।

उसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद सरकार, प्रस्ताव पर, आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	प्राचीन स्थल/ स्मारक का नाम	नगर	तहसील/ जिला	समक्षण के अधीन शामिल किए जाने वाले स्थल का राजस्व प्लाट खसरा संख्या	स्वामित्व	आधिपत्य एवं जिनके द्वारा प्रबन्धित है	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यूरेपियन कारगाह	अम्बाला कैंट	अम्बाला	20.54 एकड़	भारत सरकार	भारत में यूनाईटेड के हाई कमिश्नर	1899-1902 के एंग्लो-बोयर युद्ध के 20 वीरों को अफ्रीका से युद्ध बन्दी बनाकर लाया गया। और मरने के पश्चात् यहीं दफनाए गए।
2.	सेंट पालिका गिरजाघर (इंग्लैंड का गिरजाघर और चप्लेन का बंगला)	अम्बाला कैंट	अम्बाला	सर्वे नं. 325 6.29 एकड़	भारत सरकार	भारतीय गिरजाघर के ट्रस्टी	19 वीं शताब्दी की भारतीय ब्रिटिश वास्तुकला का यह एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बम विस्फोट से यह क्षतिग्रस्त हो गया था।

टी० डी० जोपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व विभाग, चण्डीगढ़।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरस्कार

दिनांक 18 अक्तूबर, 1993

क्रमांक 2641-ज-(2)-93/19981.—श्री श्योकरण, पुत्र श्री शादी राम, निवासी गांव कोहारड़, तहसील झज्जर, (अब तहसील कोसली) जिला रोहतक (अब जिला रिवाड़ी) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6093-प्रार-4-67/4503, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-प्रार-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री श्योकरण की दिनांक 27 फरवरी, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया

गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री श्योकरण की विधवा श्रीमती ईमरतों के नाम खरीफ, 1991 से 300 रुपये की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

3. यह अधिसूचना राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 924-ज-2-92/14404, दिनांक 30 जून, 1992 के अधिक्रमण की जाती है ।

दिनांक 19 अक्तूबर, 1993

क्रमांक 3262-ज-2-93/20108.—श्री रतन देव शर्मा, पुत्र श्री जैदेव शर्मा, निवासी गांव जगाधरी, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला (अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1 ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1859-ज-1-76/29845, दिनांक 23 सितम्बर, 1976 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री रतन देव शर्मा, की दिनांक 10 फरवरी, 1993 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री रतन देव शर्मा की विधवा श्रीमती शिला शर्मा के नाम खरीफ, 1993 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

रणजीत सिंह ढ़डवाल,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

IRRIGATION BRANCH

Orders

The 6th October, 1993

No. 7965/2-L—Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 4255/2-L, dated the 10th May, 1993 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed by the Government at public expenses of the Haryana Government for a public purpose, namely for constructing Gurgaon Water Supply Channel from Kilometer 39.564 to Kilometer 44.000 in Village Bupania, Tehsil Bahadurgarh, District Rohtak (Leflout Khasra Nos.)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Rohtak to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification.

The 15 October, 1993

No. 8280/2-L.- Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 5421/2-L, dated 22nd June, 1993 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed by the Government at public expenses of the Haryana Government for a public purpose, namely for Construction of Gurgaon Water Supply Chanel from Kilometer 44 to 58 in village Bupania, Gubhana, Majri, Badli, Daryapur, Lagerpur, Deverkhana and Badsa, Tehsil Bahadurgarh, District Rohtak.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of the Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Rohtak to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid Notification.

By order of Governor of Haryana,
A. S. GAHLAWAT,
Superintending Engineer,
Construction Circle No. II,
Gurgaon.